न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 03 / 2023
दायर दिनांक : 12 / 01 / 2023
निर्णय दिनांक : 07 / 10 / 2025

उनवान

1. किशनलाल पिता धन्ना कुम्हार निवासी भूपालसागर **प्रार्थी**

बनाम

1. मयूर पिता किशनलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
2. नारायणलाल पिता धन्ना कुम्हार निवासी मयूर टेलर, प्रताप चौराया, फतहनगर तह. मावली
3. जगदीश पिता मोहन कुम्हार निवासी भूपालसागर
4. प्रहलाद पिता बंशीलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
5. राधेश्याम पिता बंशीलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
6. रमेशचन्द्र पिता लादूलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
7. कृष्णकुमार पिता लादूलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
8. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट , अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में विचाराधीन होकर दिनांक 12.10.2022 को पेशी नियत थी उस मैं वादी न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाया था तथा मेरा अधिवक्ता भी अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण न्यायालय आप में हाजिर नहीं हो पाया था उक्त प्रकरण अदम पैरवी, अदम तलबी में खारिज हो गया खारिज होने की सूचना मुझ प्रार्थी को मेरे अधिवक्ता ने नहीं दी। मुझ प्रार्थी को उक्त प्रकरण खारिज हुआ जिसकी जानकारी मुझ वादी ने दिनांक 02.12.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकले दिनांक 06.12.2022 को हुई जिसे जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि प्रार्थना पत्र पेश है। न्यायहित में उक्त वाद को पुनः नंबर पर लिया जाना आवश्यक है वरना वादी को अपार क्षति होगी। प्रार्थना पत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वाद पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री पवन जयसवाल ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 3, 6, 7 की ओर से जवाब बंद किया जाता है प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भूपालसागर उपस्थित।

वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी [illegible] की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] नंबर पर लिया जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित [illegible] न्यायालय आप में वाद प्रस्तुत करने के बाद दुबारा न्यायालय में नियत एक पेशी पर [illegible] नहीं हुआ। प्रार्थी / वादी द्वारा जानबूझकर लापरवाही की है जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है, न्यायालय का समय जाया [illegible] की नियत से प्रार्थना पत्र लाया है, वाद खरिज की सम्पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थी / वादी का [illegible] पत्र खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:40 IST
Reason: SelfAttested

फरमाया जावे। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादी/वकील वादी को शेष तलबी प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में भी अवसर दिये गये, अंतिम अवसर भी दिया गया तथापि वे न्यायालय में अनुपस्थित रहे साथ ही लम्बे समय तक प्रतिवादीगण की तलबी कराने में भी असफल रहे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादी/वकील वादी को शेष तलबी प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में भी अवसर दिये गये, अंतिम अवसर भी दिया गया तथापि बार–बार आवाजे लगाने के पश्चात भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:40 IST
Reason: SelfAttested